तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल	
07.06.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ताणु मानजी में पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बाद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादीत भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम **हरसाणी,** पटवार मण्डल **हरसाणी**, तहसील **गडरारोड़** के **खेत खसरा नम्बर 2846/32 रकबा 12.14 बीघा भूमि** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखबन्दी करने हेतु **भू अभिलेख निरिक्षक हरसाणी** को 1000 /–रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगें। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. गिराब से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **भू अभिलेख निरिक्षक हरसाणी** बाद पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी** **शिव**	

Scanned by CamScanner